

कार्यालय जिला कलक्टर (भू अ.) प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांक: भू.अ./2019/421

दिनांक :- 14.01.2019

—:: आदेश ::—

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के पत्रांक : राम/भू.अ./परीक्षा/प-279 /2017/388-420 दिनांक 10.01.2019 की पालना में सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा - 2015 में अन्तिम रूप से चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को राजस्थान भू राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के नियम 4 एवं तत्पश्चात् समय-समय पर जारी अधिसूचना/निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु पटवारी के रूप में नियुक्ति दी जाती है।

1. अनुसूचित क्षेत्र(TSP)

क्र. सं.	रोल न.	मेरिट नं.	नाम अभ्यर्थी	पिता/पति का नाम	जन्म दिनांक	वर्ग	पता
1	305124	745	सुनील खटीक	चंद्रप्रकाश	04-03-1985	SCM	1154/2, जुल्लूभाई पठान के घर के सामने गायरियावास, उदयपुर(राज.) पिन-313002
2	302561	752	सोनू गांछा	भंवरलाल	29-07-1990	SCM	वराह मंदिर, के सामने ब्रह्मपुरी धरियावद तह. धरियावद जिला प्रतापगढ़(राज.) पिन-312625
3	301075	3366	धर्मा कुमारी मीणा	रतनलाल	06-07-1986	STF	मु.पो. महेशपुरा तह. अबापुरा जिला बांसवाड़ा(राज.)

2. गैर अनुसूचित क्षेत्र(NTSP)

4	165012	15286	दिलीप कुमार मीणा	रामचरण	07-12-1995	STM	ग्राम रोण पो. पिपलदा तह. पिपलदा जिला कोटा(राज.)
---	--------	-------	------------------	--------	------------	-----	---

यह नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी -

- 1 इस आदेश के तहत नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु पटवारियों को दिनांक 18.01.2019 तक मूल दस्तावेजों सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है। कार्यग्रहण दिनांक 21.01.2019 होगी। नियुक्ति आदेश जारी होने के उपरांत यदि कोई अभ्यर्थी 01 माह तक उपस्थित नहीं हो तो उसका नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा एवं इसकी सूचना आपको पृथक से नहीं दी जावेगी।
- 2 इस आदेश के तहत परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु पटवारी के पद पर दी गई नियुक्ति एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 9454/2017 देवेन्द्र सिंह मेहता बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा इस याचिका के साथ संलग्न अन्य याचिकाओं, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8402/2017 मनीष चौधरी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8454/2017 श्रवण स्वामी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8829/2017 ओमप्रकाश खावा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 15538/2017, 11711/2017, 8263/2017, 7870/2017, 13151/2017, 8110/2017, 18032/2017, 16106/2017, 17676/2017, 18049/2017, 18326/2017, 10360/2017, 9735/2017, 10549/2017, 12009/2017, 11875/2017, 11874/2017, 11788/2017, 11878/2017, 11881/2017, 11877/2017, 11876/2017, 11879/2017, 8402/2017, 8413/2017, 8133/2017, 12552/2017, 12551/2017, 10690/2017, 11538/2017, 15109/2017 में माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
- 3 अभ्यर्थी द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उपस्थिति स्वीकार्य होगी।

- 4 उपस्थिति के समय अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन हेतु संलग्न प्रपत्र में शपथ पत्र पचास रुपये के नोन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।
- 5 राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रशिक्षणार्थी को उपस्थिति के समय इस आशय का अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा कि प्रशिक्षण उपरान्त राज्य स्तर के अधीनस्थ पटवारी के पद पर कम से कम तीन वर्ष की सेवाएँ अर्पण करनी होंगी अन्यथा आपके प्रशिक्षण पर खर्च की गई समस्त धन राशि एक मुश्त राज्य सरकार को लौटानी होगी।
- 6 पटवारियों के प्रशिक्षण सत्र की अवधि 6 माह होगी तथा इस अवधि में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नियत पारिश्रामिक नियमानुसार प्रतिमाह की दर से दिया जायेगा।
- 7 प्रशिक्षण सत्र की सम्पूर्ण अवधि में उपस्थिति नियमानुसार अनिवार्य होगी।
- 8 प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात् होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होने तथा दो वर्ष की परीवीक्षा काल सन्तोषजनक रूप से पूर्ण होने पर पटवारी के पद की सेवाएँ नियमानुसार नियमित करने की कार्यवाही की जावेगी। यदि कोई प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के पश्चात होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता है तो उसकी सेवाएँ नियमित नहीं की जायेगी।
- 9 प्रशिक्षण अवधि में कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 10 राज्य सेवा में दिनांक 1.1.2004 से अथवा इसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
- 11 यह नियुक्ति दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर होगी। इस अवधि में वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं है। परीवीक्षाकाल सन्तोषप्रद रूप से पूर्ण करने के पश्चात् नियमानुसार वेतनमान देय होगा।
- 12 इस आदेश से नियुक्त कार्मिक पर वित्त विभाग के आदेश दिनांक 13.03.2006 के अनुसार मेडिकलेम इश्योरेन्स योजना लागू होगी।
- 13 इस आदेश से नियुक्त कार्मिक पर समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के प्रावधान लागू होंगे।
- 14 राजस्व मण्डल की विज्ञप्ति दिनांक 04.11.2015 के बिन्दु संख्या 15 (1 से 5 तक) में आंकित शर्तों की अवहेलना होने पर अथवा अभ्यर्थी द्वारा कोई तथ्य छिपाया जाना पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

11
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)
दिनांक :- 14.01.2019

क्रमांक: भू.अ./2019/74
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं पालनार्थ

- 1 श्रीमान निबंधक महोदय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/भू.अ./परीक्षा/प-279 /2017/388-420 दिनांक 10.01.2019 के क्रम में प्रेषित है।
- 2 श्रीमान सम्भागीय आयुक्त महोदय संभाग, उदयपुर।
- 3 पुलिस अधीक्षक जिला.....(राज.)।
- 4 जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी प्रतापगढ़ को भेजकर लेख हैं कि उक्त नियुक्ति पत्र जिले की वेबसाईट पर प्रकाशित करावें।
- 5 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ को भेजकर लेख हैं कि अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य प्रमाणपत्र उसी दिन उपलब्ध करावें।
- 6 सम्बन्धित श्री
- 7 निजी पत्रावली सम्बन्धित श्री


जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)